कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2024/71
P/37/2024
U/S - 188 R.T.A. 1955

मोहन कंवर / हरीसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
7.7.25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित, वादीया अनुपस्थित। वकील वादी मय वादीया को बार बार पुकार कर आवाजें दिलाई गई बावजूद अनुपस्थित रहे। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नक्शा में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर (मुहर: कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर)	
13/10/25	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 13/10/2025 को स्वीकार किये जाने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी आयन्दा दिनांक 13/11/2025 को पेश हो। sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
7/11/25	पत्रावली में अधिवक्ता वादीनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत वास्ते पत्रावली तलब करने हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किये गये कि - वादीनी	

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

2024/71
P/37/2024
U/S-188 R.T.A. 1955

मोहन कंवर / हरीसिंह व अन्य

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर हाकिम मय

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अब उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहती है। वर्तमान में उक्त दावे के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं होने से मौजूदा पत्रावली को आज ही तलब किया जाकर सुनवाई किया जाना अति आवश्यक एवं न्याय संगत है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पत्रावली आज ही तलब की जाकर सुनवाई कर उचित आदेश प्रदान करमावे।" अतः पत्रावली आज ही पेशी पर ली गई।

अधिवक्ता वादीनी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत दावा विड्रो प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया गया है कि- "वादीनी उक्त प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहती है। वर्तमान में उक्त दावे के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं रहा है, भविष्य में यदि किसी तरह का पुनः इस भूमि को लेकर के कोई विवाद होता है तो वादीनी पुनः दावा पेश करने की अनुमति चाहती है और इस अनुमति के साथ यह दावा विड्रॉ कर रही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी को पुनः दावा प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ यह दावा जरिये विड्रॉ खारिज करने का आदेश फरमावे।"

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीनी का वाद जरिये विड्रॉ (पुनः दावा पेश करने की अनुमति के साथ) खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर